न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(आर.सी.ढेनवाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या

18/2019

अब्दुल अजीज शाह पुत्र अलानूर शाह मोहल्ला नागोरियान मालपुरा तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0

--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी (भू0अ0) कलक्ट्रेट टोंक जिला–टोंक

--प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 10–6–2019

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी (भू0अ0शाखा) कलक्ट्रेट टोंक को दिनांक 23–3–2019 आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निम्न प्रकार सूचना चाही गई है:–

जमाबन्दी व नामान्तरकरण की प्रमाणित नकल विवरण सम्वन 1988 के पूर्व की रिकार्ड मिसल हकीकत बन्दोबस्त सम्वत 1988 खातेदार अब्दुल सलाम पुत्र गुलाबशाह खाता सं. 333 खसरा नं0 675, 676, 677, 678, 679, करबा मालपुरा दर्ज है।

अब्दुल सलाम/गुलाबशाह का वारिसों में एक है मिसल हकीकत बन्दोबस्त सम्वत 1988 में या पूर्व में अब्दुल सलाम के नाम खोले गये नामान्तरकरण व अब्दुल सलाम के खातेदार बनने से पूर्व जमाबन्दी की नकल चाहता है।

श्रीमान आराजियात वर्तमान में खता सं0 9 खसरा नम्बर 9/1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1532, 1534 पटवार सर्किल बृजलालनगर (राजपुरा मालपुरा) है।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना प्राप्त होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी (भू0अ0शाखा) कलक्ट्रेट टोंक के विरूद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी (भू0अ0शाखा) कलक्ट्रेट टोंक को पत्र कमांक 426 दिनांक 22–5–2019 से जवाब तलब किया गया। प्रभारी अधिकारी (भू0अ0शाखा) कलक्ट्रेट टोंक ने पत्र कमांक 3242 दिनांक 29–5–2019 से अवगत कराया है कि आवेदक द्वारा चाही जा रही सूचना कार्यालय हाजा में उपलब्ध नहीं है। इस सम्बन्ध में आवेदक को भी पत्र कमांक 2204 दिनांक 15–4–2019 से सूचित किया जा चुका है। चूँकि आवेदक को सूचना के सम्बन्ध में जवाब भिजवा दिया गया है तथा एक प्रति न्यायालय हाजा में दिये गये जवाब की भी प्रेषित की गई है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी (भू0अ0शाखा) कलक्ट्रेट टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(आर.सी.ढेनवाल)
जिला कलेक्टर एंव
प्रथम अपील अधिकारी टोंक

Scanned by CamScanner